



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झॉसी
(मानव संसाधन प्रबन्धन विभाग)

सन्दर्भ : मा.सं./से.ला.अनु./कर्म.पे.यो.-2016

दिनांक : 26.08.2016

परिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र सं. G.S.R.440 (E) दिनांक 25.04.2016 के अनुसार कर्मचारी पेन्शन (द्वितीय संशोधन) योजना-2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त योजना के सदस्य जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपनी इच्छानुसार पेन्शन का लाभ 58 वर्ष की आयु के बाद एवं 60 साल की आयु पूर्ण होने पर लेना चाहते हैं, को पेन्शन राशि पर 4% वार्षिक की दर से अतिरिक्त लाभ के पात्र होंगे ।

अतः समस्त नियमित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अपनी आयु के 58 वर्ष पूर्ण करने के 03 माह पूर्व संलग्न प्रारूप में अपना विकल्प चुनकर मानव संसाधन विभाग – स्थापना अनुभाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।


(मो.आफताब आलम) 26/08/16

(मु.आफताब आलम)
कल्याण अधिकारी
बी०, ०ई०एल०, झॉसी

वितरण :

समस्त नोटिस बोर्ड

भेल इन्टरनेट/इन्ट्रानेट

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED NEW DELHI EPF

(DL/CPM/3812)

PENSION DEFERMENT OPTION FORM

(In Line with Notification 440(E) dated 25.04.2016)

Name of Employee _____

Unit / Division _____

PF Account No. / Staff No. _____

Pension Account No. _____

Date of Birth _____

I _____ son / daughter / spouse of _____ exercise

the following Option in respect of Pension under EPS Scheme, 1995:

(Please tick the relevant option)

No deferment. Drawl of Pension on attaining 58 years

OR

Defer the age of drawing Pension beyond 58 years of age without contribution

Date of Option (Please tick the relevant option): 59 years / 60 years

OR

Defer the age of drawing Pension beyond 58 years of age with contribution

Date of Option (Please tick the relevant option): 59 years / 60 years

(Signature of the employee)

Mobile No:

E-Mail ID: